(क) उन राज्यों के क्या नाम है जिनको 15 जुलाई, 1972 से केन्द्रीय सरकार की "परिवहन सहायता योजना" मे सम्मिलित कर लिया गया है और इन राज्यों को इस योजना में किस आधार पर सम्मिलित किया गया है; और

(ख) "परिवहन सहायता योजना" का ब्यौरा क्या है और योजना के अधीन प्रत्येक राज्य को अब तक कितनी कितनी सहायता दी गई है और सहायता देने की प्रक्रिया क्या है और योजना के अधीन प्रत्येक राज्य को अधिक से अधिक कितनी कितनी सहायता दी जाएगी ?

†[**Transport Assistance Scheme**

1467. SHRI B. S. SHEKHAWAT: Will the Minister of INDUSTRIAL DEVELOPMENT AND SCIENCE AND TECHNOLOGY be pleased to state:

(a) the names of States which have been included since 15th July, 1972 in the "Transport Assistance Scheme" of the Central Government and the basis on which these States have been included in the scheme; and

(b) the details of the "Transport Assistance" the amount of assistance provided so far to each State under the scheme; and the procedure for providing assistance together with the maximum amount of assistance to be provided to a State under the scheme?]

औद्योगिक विकास मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री जिआउर रहमान अन्सारी) : (क) औद्योगिक विकास मंत्रालय की अधिसूचना संख्या एफ 6(26)/71–आई० सी० दिनांक 28 फरवरी 1974 के द्वारा हिमाचल प्रदेश तथा उत्तर प्रदेश के पहाडी जिलों में परिवहन राजसहायता योजना का विस्तार कर दिया गया है। हाल ही में अंडमान तथा निकोबार द्वीप समूह को भी केन्द्रीय परिवहन योजना के अन्तर्गत राजसहायता देने का निश्चय किया गया है।

चूंकि हिमाचल प्रदेश तथा उत्तर प्रदेश के पहाडी इलाकों के एककों में उत्पादन की कुल लागत पर परिवहन लागत का अनुपात लगभग उतना ही पड़ता है जितना जम्मू काश्मीर तथा पूर्वोत्तर स्थित एककों में, (जहां यह योजना पहले से ही चल रही है) अतएव इन राज्यों में भी इस योजना का विस्तार करने का निर्णय किया गया था। अन्डमान, निकोबार द्वीप समूह तथा लकादिव के अत्यधिक पिछड़े होने, द्वीप समूह तथा मुख्य भूमि के बीच परिवहन तथा संचार व्यवस्था के अल्प-विकसित होने तथा सीमित औद्योगिक संभावनाओं आदि को ध्यान में रखते हुए इन संघ राज्य क्षेत्रों को भी परिवहन राजसहायता योजना के अन्तर्गत लाने का निश्चय किया गया है।

(ख) इस योजना का ब्यौरा दिनांक 23 जुलाई, 1971 तथा 28 फरवरी, 1974 को प्रकाशित अधिसूचना संख्या एफ० 6/26/71-आई० सी० में दिया गया है जिनकी प्रतियां अनुबन्ध 'क' और 'ख' के रूप मे संलग्न है।

प्रत्येक राज्य सरकार/संघ राज्य क्षेत्र की सरकार ने एक कमेटी बनाई है जिसमें उद्योग निदेशक, राज्य वित्त विभाग, तथा औद्योगिक विकास मंत्रालय के प्रतिनिधि सम्मिलित है जो राजसहाय के सभी दावों की छानबीन करने और उन्हें निपटाने का काम करती है। एक लाख रुपए से अधिक पूंजी वाली लघु उद्योग एककों को छोड़कर

†[ ] English translation.

सम्बन्धित राज्य तथा संघ क्षेत्र के दावे दारों को कच्ची सामग्री आयात करने तथा तैयार माल बाहर भेजने की जांच का सबूत पंजीयित राजपत्रित लेखापाल से कराना पड़ता है। चुने हुए राज्यों/संघ क्षेत्रों के उद्योग निदेशालय राज-सहायता के वितरण तथा पात्र एककों के पूर्व-पंजीयन की प्रक्रिया विहित करने हेतु और भी प्रक्रियाएं तथा प्रबन्ध करेंगे।

केन्द्र प्रायोजित योजनाओं के बारे मे औद्योगिक एककों को वितरित की गई धनराशि सबसे पहले राज्य सरकार/संघ राज्य क्षेत्र को दी गयी बकाया अर्थोपाय अग्रिम रकम में से समंजित की जाएगी। शेष राशि का यदि कोई हुई तो, राज्य सरकार/संघ राज्य क्षेत्र को नकद भुगतान किया जाएगा।

मंत्रालय में उपलब्ध सूचना के अनुसार अभी तक किसी भी राज्य सरकार अथवा संघ राज्य क्षेत्र द्वारा इस योजना के अन्तर्गत कुछ भी रकम वितरित नहीं की गयी है।

परिवहन राजसहायता के रूप में दी जाने वाली अधिकतम सहायता की सीमा निर्धारित नहीं की गयी है। केन्द्रीय परिवहन राजसहायता तथा पूंजीगत राजसहायता के कारण राज्यों को व्यय की प्रतिपूर्ति स्वरूप दिए जाने हेतु औद्योगिक विकास मंत्रालय के बजट में निम्न प्रकार प्रावधान कर दिया गया है:

अवधि	रकम (रुपए में)
सम्पूर्ण चतुर्थ पंचवर्षीय योजना	5 करोड
1972-73	75 लाख
1973-74	75 लाख
सम्पूर्ण पांचवी योजनावधि में	10 करोड़
1974-75	1.25 करोड़

†[THE DEPUTY MINISTER IN THE MINISTRY OF INDUSTRIAL DEVELOPMENT (SHRI ZIAUR RAHMAN ANSARI): (a) The Transport Subsidy Scheme has been extended to the State of Himachal Pradesh and hilly districts of Uttar Pradesh with effect from 24th August, 1973 vide Ministry of Industrial Development's Notification No. F. 6 (26)/71-IC dated 28th February, 1974. It has also been recently decided to extend the Central Scheme of Transport Subsidy to the Andaman and Nicobar Islands and Lakshadweep.

Since the proportion of transport cost to the total cost of production of some of the units located in Himachal Pradesh and hilly areas of Uttar Pradesh was almost as high as in the case of some of the Units in Jammu and Kashmir and North Eastern region (where the Scheme was already in operation) it was decided to extend the scheme to these States. Further, in view of the extreme backwardness of Andaman and Nicobar Islands and Lakshadweep, under-developed transport and communication facilities between the islands and main islands, limited industrial potential etc., it has been decided to bring these Union Territories under the coverage of Transport Subsidy Scheme.

(b) Details of the Scheme are given at Annexures A and B containing copies of Notifications No. F.6 (26)/71-IC dated 23rd July, 1971 and 28th February, 1974.

Each State Government/Union Territory Administration concerned has set up a Committee consisting of DI, representative of State Finance Department, Ministry of Industrial Development etc. for scrutinising and settling all claims of the subsidy. Claimants are to provide proof of raw materials imported into and finished goods 'exported' out of the State/Union Territories concerned from registered Chartered Accountants except in the case of Small scale industrial units with capital investment not exceeding Rs. 1 lakh. Directorate of Industries of the selected States and Union Territories evolve further

†[ ] English translation.

procedures and arrangements for disbursement of subsidy including laying down a system of pre-registration for eligible units.

The amount disbursed to industrial units is to be first adjusted against the outstanding ways and means advances made to the State Government/Union Territory for centrally sponsored schemes. The balance, if any, is payable in cash to the State Government/ Union Territory.

According to information available in the Ministry no amount has so far been disbursed by any State or Union Territory under this scheme.

Maximum amount of assistance to be provided as Transport Subsidy to a State/Union Territory has not been laid down. The following budget provisions have been made in the Ministry of Industrial Development for meeting the expenditure by way of reimbursements to States on account of Transport Subsidy and Capital Subsidy Scheme of the Union Government:

Period	Amount Rs.
Entire 4th Plan	5 crores.
1972-73	75 lakhs
1973-74	75 lakhs
Entire 5th Plan period	10 Crores
1974-75	1·25 crores.]

न्यू फ्रेन्ड्स कोआपरेटिव बिल्डिंग सोसाईटी

1468. **श्री भैरों सिंह शेखावत** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगी कि :

(क) न्यू फ्रेन्ड्स कोआपरेटिव बिलडिंग सोसाईटी दिल्ली की गतिविधियों में भाग लेने हेतु अखिल भारतीय (सेवा आचरण) नियम 1968 के नियम 13 के उपनियम (3) के अधीन अखिल भारतीय सेवा के किन किन सदस्यों ने सरकार से पूर्व अनुमति प्राप्त की है; ये अनुमति कब कब प्राप्त की गई थी और उन लोगों के क्या नाम हैं जिन्होंने इस प्रकार की अनुमति प्राप्त नही की थी ;

(ख) उपरोक्त सोसाईटी द्वारा भू-खण्डों के आबंटन के सम्बन्ध में, उक्त नियमों के नियम 16 के उपनियम (3) तथा उपनियम (4) के अन्तर्गत किन किन अधिकारियों ने निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार निर्धारित समय में सरकार को सूचना दी थी और ऐसी सूचना किन किन तारीखों को दी गई है; और

(ग) क्या यह सच है कि अखिल भारतीय सेवाओ के बहुत से सदस्यों ने उक्त समिति से सम्बन्धित गतिविधियों मे भाग लेकर सेवा आचरण नियमों की अवहेलना की है और यदि हां, तो ऐसे अधिकारियों के क्या नाम है और उनमें से प्रत्येक के विरुद्ध क्या क्या कार्यवाही की गई है ?

†[**New Friends Cooperative Building Society**

1468. SHRI B. S. SHEKHAWAT : Will the PRIME MINISTER be pleased to state:

(a) the names of the members of the All India Services who obtained prior permission from Government under sub-rule (3) of rule 13 of the All India (Service Conduct) Rules, 1968 for taking part in the activities of the New Friends Cooperative Building Society, Delhi the dates on which such permission was obtained together with the names of those who did not obtain such permission;

(b) the names of officers who had supplied information to Government regarding allotment of plots by the said Society, according to the prescribed procedure and within the prescribed time under Rule 16, sub-rule (3) and sub-rule (4) of the said rules

†[ ] English translation.